5 रु. कोर्ट फीस Rs.5 COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

1 रु. कोर्ट फीस Re 1 COURT FEE भारत INDIA एक रुपया ONE RUPEE

1 रु. कोर्ट फीस Re 1 COURT FEE भारत INDIA ONE RUPEE

निरस्त निरस्त

3
7=00

केवल नकल की फीस के लिए

आवश्यक स्टाम्प सहित प्रार्थना पत्र देने की तारीख	नोटिस बोर्ड पर नकल तैयार होने की सूचना की तारीख	नकल वापिस दिये जाने की तारीख	नकल वापिस देने वाले अधिकारी का हस्ताक्षर
138 30-5-2022	30-5-2022	30-5-2022	(हस्ताक्षर)

नकल आदेश

न्यायालय उपजिलाधिकारी सैदपुर - गाजीपुर

वाद सं० 219 / 2018

धारा 143 ज०वि० अधि०

मौजा - नरायनपुर कमरही परगना सैदपुर

जनपद गाजीपुर

आदेश दिनांक - 12-3-2018

नकल आदेश दिनांक 12-3-2018 प्रमाणित छायाप्रति स्वतः में संलग्न है —

उप जिलाधिकारी सैदपुर-गाजीपुर

न्यायालय उपजिलाधिकारी, सैदपुर–गाजीपुर
वाद संख्या–219 सन् 2018
धारा–143 ज0वि0अधि0
मौजा–नरायनपुर ककरही, परगना–सैदपुर
काशीनाथ शिक्षा संस्थान बनाम सरकार

<u>निर्णय</u>

प्रस्तुत कार्यवाही काशीनाथ शिक्षा संस्थान नरायनपुर ककरही दौलतपुर गाजीपुर प्रवन्धक काशीनाथ पुत्र स्व0 गुरु प्रसाद निवासी ग्राम व पो0 दौलतपुर परगना– सैदपुर, जनपद– गाजीपुर ने सरकार को बतौर विपक्षी बताते हुए मौजा–नरायनपुर ककरही, परगना सैदपुर स्थित आराजी नं0 197/0.0800 हे0,201/0.2090हे0 व 310/0.2530हे0 कुल 3 गाटें कुल रकबा 0.5420 हे0 को कृषि से भिन्न प्रयोजनार्थ आबादी घोषित करने हेतु धारा–143 ज0वि0अधि0 के अन्तर्गत दाखिल किया। प्रार्थना पत्र की जांच आख्या तहसीलदार दिनांक 07.03.2018 को प्राप्त हुई। मैने पत्रावली एवं जॉच आख्या तहसीलदार दिनांक 07.03.2018 का अच्छी प्रकार से अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि उद्धरण खतौनी के आराजी नं0 197/0.0800 हे0,201/0.2090हे0 व 310/0.2530हे0 कुल 3 गाटें कुल रकबा 0.5420 हे0काशीनाथ शिक्षा संस्थान नरायनपुर ककरही दौलतपुर गाजीपुर के नाम से अभिलेख कागजात में अंकित है, जो बतौर संक्रमणीय भूमिधर दर्ज है।

तहसीलदार ने अपनी आख्या सें स्पष्ट किया है कि आराजी का उपयोग कृषि कार्य में न होकर आबादी के रुप में हो रहा है। कृषि से शिक्षा के उद्देश्य से संचालन हेतु प्रयोजनार्थ प्रख्यापित किये जाने की संस्तुति की गयी है। आख्या तहसीलदार उक्त के आधार पर पुष्टिकृत किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अतः आख्या तहसीलदार दिनांक 07.03.2018 की पुष्टि की जाती है, और मौजा – नरायनपुर ककरही, परगना सैदपुर,जनपद गाजीपुर के आराजी संख्या आराजी नं0 197/0.0800 हे0,201/0.2090हे0 व 310/0.2530हे0 कुल 3 गाटें कुल रकबा 0.5420 हे0यानि 5420 वर्गमीटर भूमि को अकृषित/आबादी घोषित किया जाता है तथा लगान मुक्त किया जाता है। वाद अमलदरामद पत्रावली अभिलेखागार में संचित हो।

12-03-2018

दिनांक – 12-3-2018

उपजिलाधिकारी
सैदपुर–गाजीपुर

आज का निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित दिनांकित एवं घोषित।

12-03-2018

उपजिलाधिकारी
सैदपुर–गाजीपुर

नकल करी
मिलान करी
उ0 रा0 न0 2010

पेशकार
उपजिलाधिकारी
सैदपुर गाजीपुर
30-5-2022

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner